भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3037

27 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के लिए लौह अयस्क

3037. डॉ. वी. शिवादासन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विजाग के पास लौह अयस्क की कोई आबद्ध खान है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) आरआईएनएल विजाग के लिए लौह अयस्क की खरीद की लागत कितनी है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि आरआईएनएल को आबद्ध लौह अयस्क खदानें मिलें ताकि इसकी उत्पादन लागत को कम किया जा सके?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): जी, नहीं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) लौह अयस्क खदानों के आवंटन के लिए ई-नीलामी में भाग लेता रहा है। तथापि, यह ई-नीलामी मार्ग के जरिए कोई लौह अयस्क खदान प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है।

(ख): विगत 4 वर्षों के दौरान आरआईएनएल द्वारा अधिप्राप्त लौह अयस्क की लागत निम्नवत् है:-

ब्यौरा	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (दिसंबर, 2022 तक)**
लौह अयस्क की लागत (लाभ और हानि विवरण के अनुसार) (करोड़ रुपये में)	3867.84	4090.62	7213.17	2882.33

(ग): आरआईएनएल ने राज्य सरकारों अर्थात् ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश से एमएमडीआर अधिनियम, 2015 के 17क(2क) के तहत खान मंत्रालय, भारत सरकार से लौह अयस्क भंडार के आरक्षण हेतु सिफारिश करने का अनुरोध किया है। इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा राज्य सरकार से आरक्षण मार्ग के जरिए आरआईएनएल के पक्ष में एक लौह अयस्क ब्लॉक के आवंटन हेतु भी अनुरोध किया है।

*****